

**TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 27th MARCH, 2000**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

New Delhi, dated the 27th March, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 388(E) dated the 19th May, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, Construction, equipments and furnishing of Mitra Rehabilitation Centre at Survey No. 114/P, Brahmajyoti Yogiji Marg, Mogri, District - Kheda, Gujarat, by Anoopam Mission, Brahmajyoti Yogiji Marg, Mogri-388345, Via - Anand, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction, equipments and furnishing of Mitra Rehabilitation Centre at Survey No. 114/P, Brahmajyoti Yogiji Marg, Mogri, District - Kheda, Gujarat, which is being carried out by Anoopam Mission, Brahmajyoti Yogiji Marg, Mogri-388345, Via - Anand, Gujarat, at the estimated cost of rupees one crore eighty-seven lakhs sixty seven thousand plus a corpus fund of rupees two crore sixty-nine lakhs eighty-four thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2001-2002.


(POMELA B. PRASAD)
Director(National Committee)

No. 11301

F.No. NC-5/2000

भारत के राजपत्र अध्यादेश भाग-11, खण्ड-3, उपखण्ड 111 में दिनांक 29 मार्च, 2000

को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
....

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2000

अ धि तू च ना

सं०आ० § 30 जबकि आयकर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43 की धारा 35 के ग के स्पष्टीकरण के खण्ड § ख के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 1997 को जारी अधिसूचना सं०सां०आ० 388 § 30 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं० 4 पर अनुपम मिशन, ब्रह्म ज्योति योगीजी मार्ग, मोगरी-388345, मार्फत-आनन्द गुजरात के द्वारा सर्वे नं० 114/पी०, ब्रह्म ज्योति योगीजी मार्ग, मोगरी, जिला खेड़ा, गुजरात में मित्रा पुनर्वासि केन्द्र का निर्माण करने, उपकरण उपलब्ध कराने और सुसज्जित करने की योजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था ।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना ।

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड. के उपनियम 5 के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है, -

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43 की धारा 35 के ग के स्पष्टीकरण के खण्ड § ख के साथ पठित उपधारा § 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपम मिशन, ब्रह्म ज्योति योगीजी मार्ग, मोगरी-388345, मार्फत-आनन्द गुजरात के द्वारा सर्वे नं० 114/पी०, ब्रह्म ज्योति योगीजी मार्ग, मोगरी, जिला-खेड़ा, गुजरात में मित्रा पुनर्वासि केन्द्र का निर्माण करने, उपकरण उपलब्ध कराने और सुसज्जित करने की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र एक करोड़ सत्तासी लाख सड़सठ हजार रुपये की अनुमानित लागत जमा दो करोड़ उनहत्तर लाख चौरासी हजार रुपये को कोषस निधि पर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।